

# कार्यालय प्राचार्य, शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय इन्दौर

दिनांक 16/08/2021

## आवश्यक- सूचना

सहायक आयुक्त जनजातीय कार्यविभाग कार्यालय कलेक्टर इन्दौर के पत्र क्रमांक/ पोमेछा /2021-22/2134 में दी गई सूचना के आधार पर सत्र 2020-21 में NIC Scholarship Portal 2.0 से अनुसूचित जाति (SC) के अंतर्गत आवास सहायता योजना के आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि जो विद्यार्थी अपना आवास सहायता योजना का आवेदन नहीं भर पाये या लॉक नहीं कर पाये वे निर्धारित दिनांक 12/08/2021 से दिनांक 27/08/2021 तक 15 दिवस के अंदर आवास सहायता योजना का आवेदन भरकर समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न कर कार्यालय में प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि के उपरांत यदि कोई विद्यार्थी आवास सहायता योजना का आवेदन नहीं करता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित विद्यार्थी की रहेगी।

9/16/2021  
16/8/21

(डॉ. इनामुर्रहमान)

प्राचार्य

शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय इन्दौर

शासकीय नवीन विधि महा  
इन्दौर